

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/ GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर MARATHAHALLI COLONY P.O. BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं/Type Approval No: 936

मद/FOR ITEM: कांपन्सेषन यूनिट पार्ट सं.25 13 00 000/ COMPENSATION UNIT PART No. 25 13 00 000

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दूस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ प्रभाग, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "कांपन्सेशन यूनिट" पार्ट सं.25 13 00 000 जो कि अडवान्सड लाइट हेलिकाप्टर में काम आता है, आरेखन सं.25बी 00 000-111 इश्यू '1ड़ी' दिनांक 19.11.1998 के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए (लखनऊ), के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल संख्या 25 13 00 000-15.4 इश्यू-ई, दिनांक 26.10.1993 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कंप्लाएन्स स्टेटमेन्ट" मे विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that "Compensation unit" Pt No. 25 13 00 000, designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow Division, Lucknow 226016, is hereby approved for production as per Drg.No.25B00 000-111 Issue-1D dt.19.11.1998, for use in Advance Light Helicopter. It has been tested to test schedule No. 25 13 00 000-15.4 issue-E, dated 26.10.1993, in co-ordination with RCMA (Lucknow). It meets the requirements of specification /tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed as Appendix "A".

FLAGIA

FLAG C

FLAG D

FLAG B

2. उपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, and Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2004 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधी समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(लखनऊ) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st December 2004 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Lucknow) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना है या संलग्न टाइप रिकार्ड में कोई परिवर्तन करना है तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न /End : परिशिष्ट 'ए'/ Appendix "A"

सं./ No : सेमिलाक /CEMILAC/5070/ टी.ए /TA-936

दिनांक /Date : 31-12-2-50/

फेक्स /Fax No: 080-5230856

(जे. के. शर्मा/J.K. SHAR MA) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

